सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 936 राँची, मंगलवार, 14 अग्रहायण, 1939 (श०)

5 दिसम्बर, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

28 अप्रैल, 2017

संख्या- खा.आ. 06 (उप. फो.)-02/2014 – 1886-- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-10 (1)(क) तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित झारखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2016 के नियम-3 एवं 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में अध्यक्ष के पद पर पूर्णकालिक रूप से नियुक्त किया जाता है:-

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में अध्यक्ष पद के लिए

क्र.सं.	पदनाम	कार्यालय	स्थान	चयनित उम्मीदवार का नाम
i	अध्यक्ष	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम	देवघर	श्री लालजी सिंह कुशवाहा, पोस्ट-महाजरगंज, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233001

2. (क) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य पाँच वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष के उम्र तक, इनमें से जो भी पहले (न्यूनतम) हो, तक अपने पद को धारित करेंगे । अपने कार्यकाल से पूर्व भी अध्यक्ष/सदस्य अपने पद से सरकार द्वारा झारखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2016 के नियम 3 (ब)(iii) के तहत पदच्युत हो सकते है ।

(ख) जब सेवानिवृत न्यायाधीश/न्यायिक सेवा के कैडर के कोई पदाधिकारी जिला फोरम में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होंगे तो उन्हें सेवानिवृति की तिथि को प्राप्त अंतिम निर्धारित वेतन घटाव पेंशन की राशि प्राप्त होगी । साथ ही उन्हें जिला न्यायाधीश के लिए उपलब्ध सभी तरह के भत्ते, अनुमान्य लाभ, मकान किराया भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता भी उपलब्ध होंगे ।

(ग) जिला फोरम के अध्यक्ष एस.टी.डी. फोन की सुविधा के साथ अपने निवास पर टेलिफोन की सुविधा के लिए पात्र होंगे, लेकिन इसमें दूरभाष बिल प्रति माह रू॰ 500 (रूपये पाँच सौ) मात्र से अधिक का नहीं होना चाहिए ।

(घ) जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य सरकारी दौरे पर राज्य सरकार के ग्रेड पे-7600 के अधिकारी के लिए स्वीकार्य, यात्रा एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे ।

3. चयनित अध्यक्ष को झारखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2016 के नियम 3(ब)(i)/6(ब)(i) के अनुसार उन्हें योगदान करने से पूर्व यह घोषणा-पत्र (केन्द्रीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-1) जमा करना होगा कि वे और उनके रिश्तेदार किसी भी ऐसे वित्तीय या अन्य लाभ को प्राप्त नहीं करेंगे, जिससे कि उनके अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्यों के प्रभावित होने की संभावना हो। भविष्य में यदि किसी के मामले में यह पता चला कि उन्होंने अपने आवेदन में वस्तुस्थिति एवं सत्य को छिपाया है तो उनकी नियुक्ति बिना कारण पूछे समाप्त कर दी जाएगी ।

4. अध्यक्ष की नियुक्ति जिन जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरमों के लिए की जा रही है, उस जिले के उपायुक्त को अपना योगदान देंगे । नवनियुक्त अध्यक्ष के योगदान के साथ प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों की जाँच संबंधित पदाधिकारी कर संतुष्ट हो लेंगे । इसके उपरान्त संबंधित पदाधिकारी नवनियुक्त अध्यक्ष के योगदान की स्वीकृति की संस्तुति राज्य आयोग को भेजेंगे । तत्पश्चात् अध्यक्ष, झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राँची द्वारा योगदान की स्वीकृति प्रदान की जायगी ।

5. अध्यक्ष इस रूप में पद पर न रह जाने पर किसी ऐसे संगठन में कोई नियुक्ति ग्रहण नहीं करेगा या उसके प्रबन्धन या प्रशासन से संबद्ध नहीं रहेगा जो जिस तारीख को वह इस पद पर

न रह गया हो उस तारीख से पाँच वर्षों की कालावधि के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही की विषय-वस्तु रहा हो ।

6. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर नवनियुक्त अध्यक्ष द्वारा अपने पद पर अनिवार्य रूप से योगदान समर्पित किया जाएगा । निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद पर योगदान नहीं करने पर उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी एवं उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

7. विभागीय अधिसूचना संख्या 955, दिनांक 3 मार्च, 2017 को इस हद तक संशोधित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 936--200